

काटा लगा कर नाजायज कब्जा कर अतिक्रमण कर लिया है। पटवारी हल्का खण्ड की रिपोर्ट की आधार पर प्रकरण राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत दर्ज रजिस्टर हो।

गैरसायल को अन्तर्गत धारा 91(3) राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 के तहत नोटिस जारी हो। पत्रावली आयन्दा दिनांक 15/2/2017 को पेश हो।


द. सीलदार, रिवां बड़ी
(नागीर - राजस्थान)

33
25/2/17

प्रकार की भू-रू. जैर सायल उक्त का एवं सुना गया
सायली का कर्मोका विना संसेट्ट के विपणन इस्तेमाल
कि पम्परी एब्बा खण्ड से प्रोजेक्ट खण्ड के खण्ड 347
354 355 रखा गया। 0.04 0.02 0.02 0.02 रूम भूमि
जे. सु. बमरात, जे. सु. रास्ता हर संख्या 207 3 के जैर
समल रामदेव राम पुत्र गणेश राम कोम जार वि 0
खण्ड के विना डील व कांटा लगाकर कब्जा करने
के स्वयं से ही 0 की (विशेष पेश की जिस पर इस
भूमि में राजस्व प्रकरण संश्लेषण 1956 की
धारा 91 के अन्तर्गत राजस्व प्रकरण एवं जैर सायल के
विपणन के अन्तर्गत 1956 की धारा 91 के अन्तर्गत गैर सायली
किन्ना जकार तथा किन्ना एब्बा जैर सायल इवण्डुहा एवं
इब्बा एब्बा एब्बा जैर सायल में शक्रीय भूमि जे. सु. बमरात
जे. सु. रास्ता की भूमि पर अपना कर्मोका नागरिक कोम
कर कब्जा करता है। इन्हीं के जैर सायल को संख्या
2073 में शक्रीय भूमि जे. सु. बमरात एवं सायली की
भूमि पर शक्रीय भूमि के कारण कर्मोका को विपणन किन्ना
जकार शक्रीय भूमि पर किन्ना एवं शक्रीय को भी किन्ना
सायल से विपणन करने एवं सायल के सायल ना पचास
सुना सायल राशी 15 (विशेष पेश) कायल किन्ना एवं
पटवारी एब्बा खण्ड की नमूना इवण्डुहा एवं
कर्मोका को गैर सायल से विपणन करने एवं
भूमि किन्ना शक्रीय राशी की राशी जैर सायल

द. सीलदार, रिवां बड़ी
(नागीर - राजस्थान)

प्रधानमंत्री सुधारा योजना के अन्तर्गत 15
दिने 08 की गैर गायर प्लान्ट डिपॉजिट धुआर
कोकर सखिप रफर ले। मन्त्रि मन्त्रालय
14/2/2017 की प्रलेखनानुसारे अन्तर्गत
दीनप गणा


तहसीलदार, रियां हरी
(बागीर - राजस्थान)

वर्ष 2073 अन्तर्गत 15/2/17
रा.ले. 4 के अन्तर्गत 142 अन्तर्गत की।
तहसीलदार, रियां हरी

(सन्तुष्ट) (15/2/17)